



अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.बी.) का आरम्भ 1979 में किया गया था। इस कार्यक्रम के विविध कार्यकलापों में नेत्रविज्ञान के क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करना, चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला अस्पतालों को उन्नयन, सचल नेत्र इकाईयों का विकास, अपेक्षित नेत्रविज्ञानियों की भर्ती और विभिन्न नेत्रविज्ञानी सेवाओं का प्रावधान शामिल है। मोतियाबिन्द का ऑपरेशन गैर सरकारी संस्था के द्वारा भी करया जाता है। प्रत्येक मोतियाबिन्द का ऑपरेशन के लिए गैरसरकारी संस्था को लेंस रहित के लिए 500/- (पाँच सौ रूपयें) एवं लेंस सहित के लिए 750/- (सात सौ पचास रूपये) देने का प्रावधान किया गया है।

Sr.	Description	ICCE	ECCE	Phaco
A	Drugs and consumables	150	200	200
B	Sutures	50	50	50
C	Spectacles	125	125	125
D	Transport/POL	100	100	100
E	Organization & Publicity	075	75	75
F	IOL, Viscoelastic & Addl. Consum.	0	250	250
	Total	500	750	750

समेकित बाल विकास के कार्यकलापों एवं आशा को प्रत्येक मोतियाबिन्द मरीज को ऑपरेशन स्थल पर लाने एवं ऑपरेशन उपरान्त रहने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्हें कुल 175/- रूपयें प्रति मोतियाबिन्द मरीज की दर से राशि भुगतये होगी। मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु निर्धारित राशि में यातायात, ईंधन एवं प्रचार प्रसार की राशि से भुगतये होगी।